न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–49 / 2006–07

अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री महिपत सिंह

बनाम

श्री घनश्याम दास आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राजेश प्रकाश शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

मौजा रसूलपुर मीठीबेरी, परगना नजीबाबाद,
तहसील व जनपद हरिद्वार।

आदेश

यह निगरानी विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–41 वर्ष 2003–04 घनश्याम दास बनाम महिपत आदि में पारित आदेश दिनांक 22–08–2006 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस वाद में सहायक कलेक्टर द्वारा वाद बिन्दु सृजित करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 02–07–2004 से वाद स्वीकार किया गया एवं वादी महिपत को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित कर प्रतिवादीगण घनश्याम दास आदि का नाम निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता घनश्याम दास ने विद्वान आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील की कार्यवाही के दौरान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निगरानीकर्ता महिपत की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनांक 21–11–2005 से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिसको अपास्त करने हेतु निगरानीकर्ता ने विद्वान आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 28–11–2005 प्रस्तुत किया गया जिसपर उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–08–2006 से प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने सहायक कलेक्टर के समक्ष धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था जो स्वीकार हुआ। इस आदेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण ने आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इस अपील की जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं हो पाई और उसे आयुक्त के न्यायालय में अपील योजित होने की जानकारी मिला जज, हरिद्वार के न्यायालय

में विचाराधीन सिविल अपील में विपक्षी घनश्याम दास द्वारा दाखिल शपथ पत्र जिसमें आयुक्त के न्यायालय में अपील योजित होने एवं उसमें 21–11–2005 की तिथि नियत होने की जानकारी हुई। निगरानीकर्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह समय से आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया और अधिवक्ता नियुक्त करने पर उसे जानकारी हुई कि उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जिसको रिकॉल करने हेतु निगरानीकर्ता ने आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु आयुक्त द्वारा यह विवेचना करते हुए कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी बीमारी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता को अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई नोटिस कभी भी प्रेषित नहीं किये गये। निगरानीकर्ता अपील में दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं था और वह पंजाब में नौकरी करता था तो उसे अपील की जानकारी नहीं हो सकी जबकि प्रतिउत्तरदाता को इस तथ्य की जानकारी थी कि निगरानीकर्ता पंजाब में नौकरी करता है। निगरानीकर्ता को आयुक्त के समक्ष अपील में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में निगरानीकर्ता ने एल0एल0आर0 2006(65) पृष्ठ–323, ए0एल0आर0 2007(66) पृष्ठ–358, ए0एल0आर0 1999(36) पृष्ठ–87 एवं आर0डी0 2006(101) पृष्ठ–726 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि निगरानीकर्ता को आयुक्त के समक्ष अपील योजित होने का पूर्व से ही ज्ञान था। निगरानीकर्ता को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किये गये थे जो अदम तामीली में वापस प्राप्त नहीं हुए जिससे यह सिद्व होता है कि उसे अपील की जानकारी हो चुकी थी। प्रतिउत्तरदाता द्वारा जिला जज, हरिद्वार के न्यायालय में गतिमान सिविल अपील में प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई जानकारी से भी निगरानीकर्ता को आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत होने का ज्ञान हो चुका था परन्तु उसके बावजूद भी वह आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसके द्वारा अवर अपीलीय न्यायालय में अपनी बीमारी के बारे में भी कोई पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया आयुक्त द्वारा भली–भांति परीक्षण के पश्चात ही निगरानीकर्ता के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसका पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता महीपत सिंह ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर ने वाद में वाद बिन्दु सृजित करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 02–07–2004 से वादी महीपत का वाद स्वीकार कर उसे वादग्रस्त भूमि का संकमणीय भूमिधर घोषित किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिवादी घनश्याम दास आदि ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रथम अपील योजित की। इस अपील में निगरानीकर्ता महीपत के उपस्थित न होने के कारण आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–11–2005 से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु निगरानीकर्ता ने दिनांक 28–11–2005 को प्रार्थना पत्र शपथ पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया परन्तु विद्वान आयुक्त ने प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने की विवेचना के साथ अपने आदेश दिनांक 22–08–2006 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। मैंने निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28–11–2005 का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ निगरानीकर्ता ने अपना शपथ पत्र एवं अपनी बीमारी के सम्बन्ध में चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। निगरानीकर्ता ने अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख किया है कि वह सेना से सेवानिवृत्त होकर रोपड़ जिला पंजाब में नौकरी करता है और वह

दिनांक 19–11–2005 से 23–11–2005 तक तेज बुखार व उल्टी–दस्त से बीमार रहा जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसकी पुष्टि में उसने रोपड़, पंजाब के चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। यदि यह मान भी लिया जाय कि निगरानीकर्ता को प्रश्नगत वाद की जानकारी थी परन्तु चूँकि निगरानीकर्ता के विरूद्व आयुक्त द्वारा दिनांक 21–11–2005 को उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी और निगरानीकर्ता ने इस आदेश को निरस्त करने हेतु एक सप्ताह पश्चात अर्थात दिनांक 28–11–2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तो विद्वान आयुक्त को आदेश को निरस्त/रिकॉल कर निगरानीकर्ता को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था और तत्पश्चात वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करते। एकपक्षीय आदेश दिनांक 21–11–2005 पारित होने के उपरान्त उसके द्वारा एक सप्ताह पश्चात ही इस आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जो बहुत लम्बी अवधि नहीं थी। सामान्यतः न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरणों में उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण हो सके। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था ए0एल0आर0 2006(65) पृष्ठ 323 सुरेश चन्द्रा नन्होरया बनाम राजेन्द्र रजक व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि –"Natural Justice- Principle of - Is the essence of fair adjudication- Right of a man to be heard in his defence is the most elementry protection. "

इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था ए0एल0आर0 1999(36) पृष्ठ–87 ज्ञान प्रकाश बनाम जिला जज गोरखपुर व अन्य में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि– "Constitution of India,1950- Article 226- Ex-parte decree- Setting aside of- Medical certificate in support of- Non consideration of- No finding recorded- Rejection of application-Not justified petition allowed. "

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधिक व्यवस्था आर0डी0 2006(101) पृष्ठ–726 श्रीमती सुदेश व अन्य बनाम अपर जिला जज व अन्य में भी मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि–"Practice and Procedure-Endeavour of the Courts should be to give the parties sufficient opportunity to contest the suit on merits, neither than to decide the same ex-parte."

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता को अवर अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप है और निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने तथा अवर अपीलीय न्यायालय के आदेश निरस्त होने योग्य हैं तथा प्रकरण अवर न्यायालय को निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है। निगरानीकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 28–11–2005 स्वीकार किया जाता है एवं विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2005 एवं 22–08–2006 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विद्वान आयुक्त को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है

कि वे पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

19/06/15

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 19/06/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

19/6/15

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।